झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 6487 वर्ष 2017

राज कुमार ताना भगत, पे0 स्वर्गीय मंगल ताना भगत, ग्राम–खरटा, डाकघर और थाना–कैरो, जिला–लोहरदगा ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची, जिला–राँची

3. सहायक निबंधक, लेखा, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची, जिला–राँची

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री धनंजय कु0 पाठक, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए: श्री अवनीश शेखर ए0ए0जी0–I के ए0सी0

उत्तरदाता संख्या 2 एवं 3 के लिए: श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता

06/दिनांक:25/01/2021 श्री धनंजय कु0 पाठक, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अवनीश शेखर, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री रूपेश सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम

से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए दायर किया है कि सिविल अपील संख्या 10515 और 10516/2013 में हरिहर यादव और अन्य बनाम् सजल चक्रवर्ती और अन्य के मामले में अवमानना याचिका (सी) संख्या 484/2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देश के आलोक में प्रश्नगत राशि को याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी करने का आदेश दिया जाय।

श्री धनंजय कु0 पाठक, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार भाल्को कर्मचारी के संबंध में, सेवा लाभ इस न्यायालय के समक्ष जमा किया गया है। वह आगे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता मंगल ताना भगत के बड़े पुत्र हैं। वे निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और प्रश्नगत राशि को उसके पक्ष में जारी करने हेतु संतुष्ट करने के लिए उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देश देने के साथ इस रिट याचिका को निष्पादित किया जा सकता है।

श्री रूपेश सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय मंगल ताना भगत के बेटे में से एक है और स्वर्गीय मंगल ताना भगत के जीवन काल का एक दस्तावेज, कानूनी उत्तराधिकारियों को दिखाने के लिए संलग्न है। हाल ही का कोई दस्तावेज नहीं है।

श्री रूपेश सिंह के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर, प्रतिवादी सं0 2 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता, इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता को इस तरह की राहत के लिए प्रतिवादी सं0 2 से संपर्क करने का निर्देश देने का निस्तारण किया जा रहा है और याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं0 2 के समक्ष प्रदर्शित कर सकता है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन राशि का हकदार कैसे है। प्रतिवादी सं0 2 मामले की जांच करेगा और संतुष्ट होगा और यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन राशि का हकदार है, तो इस अदालत के समक्ष जमा किए गये राशि को स्वर्गीय मंगल ताना भगत के कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में प्रश्नगत राशि जारी करेगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निष्पादित की जाती है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)